न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–75 / 2026

GCMS No.- 2026/84

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री रूपाराम पुत्र श्री नेनाराम (मालिक) जगदम्बा किराणा स्टोर जिन्दास तहसील नागौर जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री राजाराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 28.04.2026

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिऐ नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया।

गैर सायल की ओर से इस प्रार्थना–पत्र का जबाब दिनांक 21.04.2026 को पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि जब्त सुदा दो गैस सिलेण्डर उनकी भाभी की हैं,जिसमें गैस भरवा कर उनकी दुकान के पास रखी गयी थी,उक्त सिलेण्डर घर के रसोई के उपयोग में ली जा रही है इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित प्रवर्तन अधिकारी एवं गैर सायल अभिभाषक की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी का कथन हैं कि दिनांक 25.02.2026 को समय 02.40 पी.एम. बजे रसद विभाग की टीम जगदम्बा किराणा स्टोर जिन्दास तहसील नागौर पर पहूंचे, मौके पर श्री रूपाराम पुत्र श्री नेनाराम उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना जाहिर किया। मौके पर वक्त निरीक्षण उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफिंलिग का कार्य किया जाना पाया गया। वक्त जॉच मौके पर उक्त दुकान की तलाशी लेने पर मौके पर 02 घरेलू गैस से भरे

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेंण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर दुकान के मालिक द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। उक्त दुकान के मालिक का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस से भरे हुए सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उपरोक्तानुसार जब्तशुदा घरेलू गैस के सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री कमल पुत्र गणपतराम निवासी भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील गैर सायल का बहस में कथन हैं कि दोनों गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की भाईयों के सिलेण्डर हैं तथा उनमें गैस भरवायी जाकर दुकान के पास में रखा गया था ताकि इनको घर पर पहूंचाया जा सके इसी दरमीयान प्रार्थीगण की टीम द्वारा मौके पर इन गैस सिलेण्डरों मय गैस को यह कहकर जब्त कर लिया कि यह गैस सिलेण्डर अवैध हैं। प्रार्थी द्वारा यह भी आरोप लगाये गये हैं कि हमारे द्वारा अवैद्य रिफिलिंग गैस का कार्य किया जा रहा हैं जबकि प्रार्थी की टीम द्वारा अवैद्य रिफिलिंग की कोई सामग्री वक्त निरीक्षण जब्त नहीं की गई हैं। हमारे विरूद्ध यह कार्यवाही केवल मात्र खानापूर्ति कर लक्ष्य हासिल करने की नियत से की गई हैं इसलिए यह कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावें एवं हमारे गैस सिलेण्डर मय गैस को पुनः हमें सुपुर्द किये जावें। विद्वान वकील अप्रार्थी का यह भी कथन हैं कि जबाब के साथ हमने गैस कनेक्शन की डायरी भी पेश की हैं,इसलिए यह गैस सिलेण्डर अवैद्य नहीं होकर वैद्य कनेक्शन के सिलेण्डर हैं,जिसे हमें पुनः लौटाये जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से जब्त सुदा गैस सिलेण्डर मय गैस किराणा स्टोर से जब्त किया गया है तथा गैर सायल पर यह आरोप लगाये गये हैं कि वक्त निरीक्षण उक्त दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैद्य गैस रिफिंलिग का कार्य किया जाना पाया गया। प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये गये फर्द मौका,फर्द जब्ती मय सुपुर्दगीनामा का अवलोकन करने पर रिफिंलिग सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई सामग्री जब्त किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है एवं गैस रिफिंलिग किस प्रकार किया जा रहा था का उल्लेख भी नहीं है तथा अवैद्य गैस रिफिंलिग के अन्य कोई खाली सिलेण्डर मौके पर होने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार किसी घरेलू गैस कनेक्शन के सिलेण्डरो को बिना किसी वैद्य आधार के जब्त किये जाने की कार्यवाही को सही नहीं ठहराया जा सकता है। गैर सायल द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अपने जबाब में उक्त दोनों गैस सिलेण्डर एवं गैस उनकी भाभीयों के होना जाहिर किया है तथा गैस कनेक्शन डायरी की फोटो प्रति भी पेश की हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन से घरेलू गैस सिलेण्डरो को बिना किसी वैद्य आधार के समपहरण (Confiscation) किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का बिना किसी ठोस आधार के पेश किया हुआ होने से खारिज किया जाता है तथा इस प्रकरण में जब्त सुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को पुनः गैर सायल को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर